Annexure-5

पत्र संख्याः 48 सी0एफ0ओ0.-एन0ओ0सी0/11 दिनांक 10-10-2011

सेवा में,

प्रभारी सचिव
विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर।

विषयः- प्रस्तावित शैक्षिक **भवन श्री** विश्व रतन, मैनेजिंग ट्रस्टी, रतन लाल शारदादेवी फाउण्डेशन ट्रस्ट, मेरठ रोड़, मुजफ्फरनगर संशोधित मानचित संख्या-326/2011 जिसका कुल प्लाट ऐरिया 3967.24 वर्गमीटर, ग्राउण्ड फ्लोर ओपन ऐरिया 3072.52 वर्गमीटर, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर कवर्ड ऐरिया 1040.60 वर्गमीटर, ग्राउन्ड फ्लोर कवर्ड ऐरिया 920.72 वर्गमीटर, सेकेण्ड फ्लौर कवर्ड ऐरिया 920.72 वर्गमीटर, मम्टी कवर्ड ऐरिया 139.99 वर्गमीटर, कुल कवर्ड ऐरिया 3942.75 वर्गमीटर, ग्राउण्ड कवरेज ऐरिया 22.55 प्रतिशत है को भवन निर्माण हेतु अस्थायी अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने विषयक।

सन्दर्भः- आपका पत्रांकः 1674/मु0वि0प्रा0/2011 दिनांक 21.09.2011

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र/अग्निशमन अधिकारी मुजफ्फरनगर की निरीक्षण आख्या दिनांक 29.09.2011 का अवलोकन किया गया तो आख्यानुसार प्रस्तावित स्थल अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षित है किसी आपात स्थिति मे स्थल अग्निशमन के वाहन आसानी से आ जा सकते है भवन के अन्दर सभी स्थायी इन्सटालेशन व बाहरी सुरक्षा व्यवस्था अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005, भवन निर्माण उपविधि 2008 व नैशनल बिल्डिंग बोर्ड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-चतुर्थ फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी की टेबिल 23 के ग्रुप बी0 (11) के एजुकेशनल बिल्डिंग मे निहित अग्नि शामक प्राविधानुसार जैसे फायर एक्सटिंग्यूसर, फायर होजरील सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम (मल्टी परपज हाल) टैरेस टैंक क्षमता 15000 मीटर, टैरेस पम्प क्षमता 950 मीटर प्रति मिनट स्थापित कराने होंगे। यदि भवन वातानुकूलित बनाया जाता है तो स्मोक डिटैक्टर की व्यवस्था करानी होगी। साथ ही भवन मे फायर एग्जिट एवं पी0ए0 सिस्टम का भी प्राविधान किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करते हुए जल व्यवस्था मानक के अनुरूप होगी।

भवन में अग्नि शमन प्रणाली की स्थापना हेतु नेशनल बिल्डिंग कोर्ड ऑफ इन्डिया - 2005 के पार्ट 3 व 4 का पालन सुनिश्चित किया जाये यदि इसमे किसी प्रकार का डैविएशन किया जाता है तो निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

उक्त भवन के निर्माण होने के उपरान्त प्रस्तावित उपरोक्त समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनायें रखना नितान्त आवश्यक होगा ताकि मानको के अनुरूप निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन व्यवस्थाओं (यन्त्रों) के प्राविधान बाद ही स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

अतः उक्त भवन निर्माण हेतु अंकित प्रतिबन्धो के आधार पर अस्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य सहारनपुर (अ0शा0)
सहारनपुर

संलग्नः अनुमोदित मानचित

प्रतिलिपिः

For BHARDHIN SCHOOL
Managing Trustee